

भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु.50

FIFTY
RUPEES

Rs.50

भारत

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

AM 511205

शपथपत्र -

मैं मोहम्मद मुराद पुत्र श्री बरीयाम खा जाति मुसलमान निवासी जूना जेसुराणा तहसील व जिला जैसलमेर का निवासी हूँ। मैं शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ कि :-

- मेरी संस्था का नाम सुरेशाह गौशाला एवं पंजीयन संख्या 1880 पंजीयन दिनांक 28.6.2019 यह है।
- मेरे पशुशिविर संचालन का स्थान

क्र.सं.	गाव का नाम	पचायत	तहसील	जिला	एसएमएफ के द्वारा छोड़े गये पशु		
					छोटे	बड़े	कुल
1	जूना जेसुराणा	हमीरा	जैसलमेर	जैसलमेर	10	190	200
2	बरीयाम खा की ढाणी	हमीरा	जैसलमेर	जैसलमेर	07	193	200
3	गाजी खा की ढाणी	हमीरा	जैसलमेर	जैसलमेर	12	188	200
	समस खा की ढाणी	हमीरा	जैसलमेर	जैसलमेर	07	193	200
	बाघे खा की ढाणी	हमीरा	जैसलमेर	जैसलमेर	8	192	200

- मुझे ज्ञात है कि जिला कलक्टर/राज्य स्तर से मेरे पशुशिविर का आकस्मिक निरीक्षण वीडियोग्राफी करवाई जा सकेगी।

- मेरे मेलोभाति परिचित हूँ कि आकस्मिक निरीक्षण / वीडियोग्राफी के दौरान बताई गई पशु संख्या में यदि कमी / अनियमितता पायी जाती है तो मेरे व मेरी संस्था के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी।

- मैं पशुशिविर की स्वीकृति में उल्लेखित सभी शर्तों की पूर्ण पालन करूंगा।

- जिले द्वारा समय समय पर आने वाले शर्तों का पूर्णतः पालन करूंगा।

(C.R. Choudhary)

मैं मोहम्मद मुराद पुत्र श्री बरीयाम खा जाति मुसलमान निवासी जूना जेसुराणा तहसील व जिला जैसलमेर शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि उपर्युक्त संख्या 1 से 6 तक दिया हुआ विवरण सत्य है।

SIGNATURE/ATTESTED

(C.R. Choudhary)

शपथग्रहिता

मोहम्मद मुराद

शपथग्रहिता

पंजीयन क्रमांक 1880/2019

दिनांक 28.06.2019

डिस्पेच नं. 94

दिनांक 28.06.2019

राजस्थान सरकार

प्रपत्र (फार्म) संख्या-7

निदेशालय गोपालन, राजस्थान, जयपुर

कार्यालय पंजीयक (रजिस्ट्रार), गोशालाएँ राजस्थान, जयपुर



गोशाला पंजीयन प्रमाण-पत्र

राजस्थान गोशाला अधिनियम, 1960 की धारा 5 के अन्तर्गत (देखिये नियम-6)

श्री सुरेशाह गोशाला
ग्राम जुना जैसलमेर पोस्ट हमीरा
तहसील जैसलमेर जिला जैसलमेर के सम्बन्ध में।

चूँकि श्री मोहम्मद मुराद (अध्यक्ष) न्यासी (द्रस्टी)
गोशाला श्री सुरेशाह गोशाला ने राजस्थान
गोशाला अधिनियम, 1960 (अधिनियम संख्या 24 सन् 1960) की धारा 5 के अन्तर्गत उक्त गोशाला
के पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) के लिये आवेदन किया है एवं आवश्यक जांच करने के बाद मैं संतुष्ट हो गया हूँ।
आवेदनपत्र के साथ प्रस्तुत अपेक्षित विवरण सही व सत्य है। अतः मैं उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 3 के
अनुसरण में, एतद् द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त गोशाला पंजीयत (रजिस्टर) करली गई है।

आवेदन दिनांक अक्टूबर माह जून वर्ष दो हजार ठीस

[28-06-2019]

रजिस्ट्रार गोशाला एवं नस्ल सुधार कम गोशाला विकास अधिकारी
(गोशाला पंजीकरण एवं नस्ल सुधार कम गोशाला विकास अधिकारी
निदेशालय गोपालन, राजस्थान, जयपुर)

